FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प खेजड़ला

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
महेन्द्र		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या– 161/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.11.2021	वादी महेन्द्र पुत्र गिलाराम जाति सरगरा निवासी खेजड़ला तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प खेजड़ला** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 386 रकबा 1.3187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 2.5241 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 2.8396 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता सोहनलाल पुत्र भंवरलाल जी की थी। मेरे पिता को दो नाम से सोहनलाल व गिलाराम पुकारते है। मेरे पिता का उपरोक्त भूमि में गलत नाम दर्ज हो गया। मेरे पिता का देहान्त दिनांक 07.09.2020 को हो गया है। मेरे पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र गिलाराम पुत्र [illegible] के नाम से जारी किया हुआ है। जबकि मुझ [illegible] गिलाराम के नाम से जारी किये हुए है। मैंने मेरे पिता की भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया जिस पर हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड व दस्तावेज देखकर बताया कि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:38 IST
Reason: SelfAttested

आपके पिता का जमाबंदी में सोहनलाल दर्ज किया हुआ है तथा आपके सरकारी दस्तावेजात मे आपके पिता का नाम गिलाराम दर्ज किया हुआ है। इस कारण आप सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें। इस कारण वादी ने प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प में अपने पिता का नाम शुद्ध करानें हेतु दावा को पेश किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी महेन्द्र पुत्र गिलाराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी महेन्द्र का आधार कार्ड, आधार कार्ड गंगाराम पुत्र गिलाराम, आधार कार्ड मुकेश पुत्र गिलाराम, आधार कार्ड सुमेरराम पुत्र गिलाराम, आधार कार्ड नारंगी पत्नी गिलाराम, आधार कार्ड सुशीला देवी पत्नी रामावतार, आधार कार्ड गिलाराम पुत्र भंवरराम, मृत्यु प्रमाण पत्र गिलाराम पुत्र भंवरराम, राशन कार्ड गिलाराम पुत्र भंवरराम, जमाबंदी सवत् 2073 से 2076 आदि को पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी

साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत खेजड़ला द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 22.11.2021 को पेश किया है। तथा वादी के समर्थन में बयान कचराराम पुत्र रामरख जाति सरगरा निवासी खेजड़ला के कलमबद्ध कराये गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा पिता का नाम उपरोक्त खातदारी भूमि में सोहनलाल पुत्र भंवरलाल गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरे पिता की खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत नही हो रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी के पिता का नाम गिलाराम पुत्र भंवरलाल के बजाय सोहनलाल पुत्र भंवरलाल दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 386 रकबा 1.3187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 2.5241 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 2.8396 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:38 IST
Reason: SelfAttested

	सोहनलाल पुत्र भंवरलाल के स्थान पर गिलाराम पुत्र भंवरलाल की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम खेजड़ला में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा [illegible]

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:38 IST
Reason: SelfAttested

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
महेन्द्र पुत्र गिलाराम		राजस्थान सरकार जरिये
जाति सरगरा निवासी खेजड़ला		तहसीलदार बिलाड़ा

तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 161/2021

निर्णय **दिनांक** :– 22.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 386 रकबा 1.3187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 2.5241 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 2.8396 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में सोहनलाल पुत्र भंवरलाल के स्थान पर गिलाराम पुत्र भंवरलाल की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्‌दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:38 IST
Reason: SelfAttested